

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण मसूरी।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सीलिंग हेतु आदेश)

पत्राक 405 / वाद संख्या आर-0130/2025

दिनांक 16/06/2025

श्री किशन बहुगुणा पुत्र स्व० इन्द्र दत्त
इन्दिरा कालोनी श्रीनगर इस्टेट कैम्पटी रोड
मसूरी।

विपक्षी, श्री किशन बहुगुणा पुत्र स्व० इन्द्र दत्त, इन्दिरा कालोनी श्रीनगर इस्टेट कैम्पटी रोड मसूरी द्वारा बिना स्वीकृति प्राप्त किये उपरोक्त पते/स्थल पर लगभग 10.00 मी० लम्बाई में खुदान कर आर०सी०सी० कालम हेतु गड्डे खुदान का कार्य किया जा रहा है, जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अनिवार्य है, अनाधिकृत निर्माण/अनाधिकृत विकास करने पर उपरोक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या आर-0130/2025 योजित किया गया।

विपक्षी के विरुद्ध योजित उपरोक्त वाद में दिनांक 11-02-2025 को धारा 27 व धारा 28 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विपक्षी को कारण बताओ नोटिस एवं कार्य रोकने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया जो कि दिनांक 13-02-2025 को आपके द्वारा रिसीव किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा विपक्षी को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है, तथा उक्त के सम्बन्ध में विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 17-02-2025 की तिथि नियत की गयी, साथ ही विपक्षी को स्थल पर अवैध निर्माण कार्य बन्द करने हेतु निदेशित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वाद में दिनांक 17-02-2025, 03-03-2025, 18-03-2025, 15-04-2025, 03-06-2025, की तिथियां सुनवाई हेतु नियत की गयी, जिसमें आप उपस्थित/अनुपस्थित रहें। आप द्वारा किये गये/किये जा रहे निर्माण के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक लिखित जबाब दावा दाखिल नहीं किया गया। सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की पूर्व आख्या दिनांक 01-02-2025 के अनुसार स्थल पर लगभग 10.00 मी० लम्बाई में खुदान कर आर०सी०सी० कालम हेतु गड्डे खुदान का कार्य किया जा रहा है। अवर अभियन्ताओं की वर्तमान आख्या दिनांक 11-06-2025 के अनुसार विपक्षी द्वारा स्थल पर आर०सी०सी० कालम का निर्माण चोरी-छिपे किया गया है। प्रकरण/वाद के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा आतिथि तक कोई शमन मानचित्र भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान है। प्रकरण में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। विपक्षी द्वारा किये जा रहे समस्त अनाधिकृत निर्माण को सील किया जाना उचित होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि आपके द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है।

अतः उक्त परिस्थितियों में तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है। न्यायहित में स्थल पर चालानशुदा निर्माण को सील किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण में सीलिंग आदेश पारित किये जाते हैं।

किशन लाल

स्व०

16/6/2025

कमश:-02

4

- आदेश:-

अतः विपक्षी श्री किशन बहुगुणा पुत्र स्व० इन्द्र दत्त, इन्दिरा कालोनी श्रीनगर इस्टेट कैम्पटी रोड मसूरी में द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के/अनुमति के जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुशीलन के आधार पर तथा क्षेत्रीय अभियन्ताओं की आख्या दिनांक 01-02-2025 तथा दिनांक 11-06-2025 के आधार पर विपक्षी द्वारा स्थल उपरोक्त पर किये गये/किये जा रहे समस्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध सील आदेश पारित किये जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालानशुदा निर्माण को दिनांक 18/6/25 को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रहकर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो। विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को ना तो क्षतिग्रस्त करें और ना होने दें, क्योंकि उक्त कार्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है, जो कि कानूनी दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाये।

किशनलाल

16/6/2025-

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
मसूरी।

06